18/10/24

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष उप.। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखा गया जो कि शामिल है।

निर्णय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2023/293

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.10.22 15:54:39 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी–सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर

मनदीप सिंह बनाम कृष्णलाल व अन्य

किस्म मुकदमाः–251(क) आरटीए प्रकरण संख्याः–143/2023 (GCMS No. 2023/293)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.10.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी श्री रामप्रताप तिवाड़ी ने प्रा.पत्र को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थी के नाम से चक 1 बी.एन.पी.एम. की जमाबंदी सम्वत् 2073 ता 76 के खाता संख्या 57/6 के पत्थर नं. 99/324 (18) के किला नं. 1/1 में 0.228, 1/2 में 0.025, 2/1 में 0.228, 2/2 में 0.025, 9 ता 12 की 1.012 कुल 1.518 हैक्टर कमाण्ड मय खाला खातेदारी कृषि भूमि दर्ज रिकार्ड है। अप्रार्थी सं. 1 ता 5 के नाम से संयुक्त खाता में चक 1 बी.एन.पी.एम. की जमाबंदी सम्वत् 2073 ता 76 के खाता संख्या 51/81 के पत्थर संख्या 98/323 (16) के किला नं. 1/1 में 0.202, 2/0.253, 9/0.253, 10/1 की 0.202, 11/1 में 0.203, 12/0.253, 19/0. 253, 20/1 में 0.203, 21/1 में 0.202, 22/0.253 कुल 2.277 हैक्टर कमाण्ड व पत्थर नं. 99/323 (15) के किला ने. 3 ता 9 की 1.771, 13 ता 18 की 1.518, 23 ता 25 कुल 4.048 हैक्टर कमाण्ड व पत्थर नं. 99/324 (18) के किला नं. 3/1 में 0.228, 3/2 में 0.025, 4/1 में 0.228, 4/2 में 0.025, 5/1 में 0.228, 5/2 में 0.025, 6/0.253 कुल 1.012 हैक्टर कमाण्ड मय खाला इस प्रकार कुल 7.337 हैक्टर कमाण्ड मय खाला भूमि अपने हिस्सा अनुसार आरजी काश्तकार 1955 से पूर्व दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी के रकबा को जाने के लिये इसी चक 1 बी.एन.पी.एम. के पत्थर सं. 99/324 (18) के किला नं. 3–4–5 में 1–1 बिस्वा चौड़ाई में उत्तरी पासा में पूर्व से पश्चिम लम्बाई में रास्ता चालू है। जो मन्जुरशुदा रास्ता मानेवाला से रामपुरा न्यौला व निरवाणा में जाकर मिलता है। प्रार्थी इसी रास्ता को मंजुर करवाना चाहता है। जिससे प्रार्थी को अपने खेत में आवागमन हेतु रास्ता की समस्या समाप्त हो जावें। उक्त स्वीकृतशुदा रास्ता के बदला में रास्ता देने को तैयार है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें। वकील श्री कमल शर्मा ने अप्रार्थी संख्या 1–5 की ओर से दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया गया। जमाबंदी अनुसार प्रार्थी के नाम से चक 1 बी.एन.पी.एम. के पत्थर संख्या 99/324 के किला नं. 1–2–9 ता 12 की कुल 1.518 हैक्टर कमाण्ड मय खाला भूमि दर्ज है तथा अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 के नाम से इसी चक के पत्थर संख्या 98/323, 99/323, 99/324 कुल 7.337 हैक्टर कमाण्ड मय खाला दर्ज है। मुताबिक तहसीलदार सूरतगढ़ की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी को रास्ता की अत्यांतिक आवश्यकता है तथा अन्य कोई रास्ता नही लगता है। अप्रार्थी संख्या 1–3–5 ने प्रस्तावित रास्ता स्वीकृत करने की सहमति दी है। प्रार्थीगण को भी अपने खेत में आने जाने हेतु कोई रास्ता नहीं है। रास्ता की एक काश्तकार को अपने खेत में आवागमन हेतु आवश्यकता होती है। प्रार्थी रास्ता की एवज में अप्रार्थी को भूमि देने हेतु तैयार है जिससे अप्रार्थी की रास्ता की एवज में जानी वाली भूमि की भरपाई जावेगी। इसलिये अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 के खातेदारी भूमि चक 1 बी.एन.पी.एम. के पत्थर संख्या 99/324 (18) के किला नं. 3 ता 5 प्रत्येक में 1–1 बिस्वा चौड़ाई में उत्तरी पासा में पूर्व से पश्चिम लम्बाई में रास्ता स्वीकार किया जाना तथा एवज में अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 को कि.नं. 2–9–12 में 1 बिस्वा चौड़ाई में 3 बिस्वा लम्बाई में कुल 3 बिस्वा भूमि दिया जाना उचित समझता हूँ जिससे किसी भी पक्षकार को कोई नुकसान नहीं होगा। अतः प्रार्थी मनदीप सिंह का प्रा.पत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थी को अपने खातेदारी रकबा वाके चक 1 बी.एन.पी.एम. के पत्थर संख्या 99/324 के किला नं. 1–2–9 ता 12 की कुल 1.518 हैक्टर कमाण्ड मय खाला भूमि में आने जाने हेतु अप्रार्थी 1 ता 5 की भूमि वाके चक 1 बी.एन.पी.एम. पत्थर संख्या 99/324 (18) के किला नं. 3 ता 5 के उत्तरी दिशा में गै0मु0 खाला के विपता [illegible] 1–1 बिस्वा (495 लम्बाई 8.25 फुट चौड़ाई में) कुल 0.03795 हैक्टर रास्ता [illegible] किया जाता है जिसे राजस्व जमाबन्दी में गै0मु0रास्ता पूर्व [illegible] भूमि में उक्त स्वीकृत 0.03795 हैक्टर रास्ता [illegible] रकबा चक 1 बीएनपीएम प.नं. 99/324 कि.नं. 2–9–12 [illegible] (उत्तर से दक्षिण लम्बाई में) अप्रार्थी की भूमि के सटते हुए दिये जाने के आदेश दिये जाते है जो अप्रार्थी 1 ता 5 के नाम खातेदार ब.हि.ब. दर्ज की जावेगी। स्वीकृत किये [illegible] रास्ता व एवज में दी जाने वाली भूमि का राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किये जाने हेतु तहसीलदार–सूरतगढ़ के नाम तहरीर जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 16.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.10.22 15:54:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर (राज.)

क्रमांक/राजस्व/प्रा.पत्र/143/2023/ 16.10.2024/8008 दिनांकः– 16 .10.2024

तहसीलदार
सूरतगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

विषय :– राजस्व प्रा.पत्र संख्या 143/2023 अनवान मनदीप सिंह बनाम कृष्णलाल वगैरा अन्तर्गत धारा 251 (क) आर.टी.ए. में पारित निर्णय दिनांक 16.10.2024 की पालना करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रार्थी मनदीप सिंह का प्रा.पत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थी को अपने खातेदारी रकबा वाके चक 1 बी.एन.पी.एम. के पत्थर संख्या 99/324 के किला नं. 1–2–9 ता 12 की कुल 1.518 हैक्टर कमाण्ड मय खाला भूमि में आने जाने हेतु अप्रार्थी 1 ता 5 की भूमि वाके चक 1 बी.एन.पी.एम. पत्थर संख्या 99/324 (18) के किला नं. 3 ता 5 के उत्तरी दिशा में गै0मु0 खाला के चिपता पूर्व से पश्चिम 1–1 बिस्वा (495 लम्बाई 8.25 फुट चौड़ाई में) कुल 0.03795 हैक्टर रास्ता स्वीकार किया जाता है जिसे राजस्व जमाबन्दी में गै0मु0रास्ता पूर्व 55 दर्ज किया जावे। अप्रार्थी 1 ता 5 की भूमि में उक्त स्वीकृत 0.03795 हैक्टर रास्ता की एवज में प्रार्थी मनदीप सिंह के रकबा चक 1 बीएनपीएम प.नं. 99/324 कि.नं. 2–9–12 में पूर्व दिशा में(उत्तर से दक्षिण लम्बाई में) अप्रार्थी की भूमि के सटते हुए दिये जाने के आदेश दिये जाते है जो अप्रार्थी 1 ता 5 के नाम खातेदार ब.हि.ब. दर्ज की जावेगी। उक्त रास्ता की भूमि का प्रयोग सार्वजनिक होगा। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में पालना सुनिश्चित कर अवगत करावें।

(सन्दीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.10.22 15:54:39 IST
Reason: SelfAttested